न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, बसिया

धारा 107 दं0प्र0सं0

वाद सं0 17/2017

प्रथम पक्ष – बिरसा सिंह उम्र 50 वर्ष पिता गणेश सिंह।

बनाम

द्वितीय पक्ष – (1) लुलेन्दर सिंह उम्र 30 वर्ष पिता सोमा सिंह।

आदेश

इस वाद की कार्रवाई कामडारा थाना के आप्राथमिकी सं0 3/2017 दिनांक 22.05.2017 के प्रतिवेदन के आधार पर दं0 प्र0 सं0 की धारा 107 के तहत कार्यवाही आरंभ की गई। उभय पक्षों द्वारा लिखित जबाब एवं स्वतंत्र गवाह भी उपस्थापित किए गए एवं इनका परीक्षण एवं प्रति परीक्षण भी किया गया।

प्रथम पक्ष बिरसा सिंह के अनुसार प्रथम पक्ष बिरसा सिंह द्वारा बैर पेड़ खाता सं0 20 प्लॉट सं0 616,617 पर था। उक्त प्लॉट की जमीन प्रथम पक्ष के बिरसा सिंह द्वारा रजिस्ट्री पट्टा केवाला 2212/92 दिनांक 08.12.1992 द्वारा क्रय कर दाखिल खारिज कराकर दा0 खा0 वाद सं0 19R27/93–94 द्वारा जमीन पर दखलकार है। इस संबंध में केवाला की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता के माध्यम से कोई जबाब नही दिया गया। द्वितीय पक्ष की ओर से उपस्थित स्वतंत्र गवाह बतलाते है कि लुलेन्दर सिंह के माता–पिता की मृत्यु इनके नबालिग काल में ही हुई। यह इनकी खतियानी जमीन है और बैर पेड़ भी इसी जमीन पर है जिसे द्वितीय पक्षकार ने काट डाला।

प्रथम पक्ष भी अपनी ओर से दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित करते है जिनके अनुसार बैर का पेड़ इनके भूमि पर है परंतु लुलेन्दर सिंह ने काटा है यद्यपि सभी गवाह मापी की बात स्वीकारते है परंतु किसी भूमि पर मापी के उपरांत पेड़ पाया गया। यह नही बतला पाते है। इस संबंध में अंचल कार्यालय से मापी संबंधी किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन उभय पक्ष संलग्न नहीं करते है परंतु विवाद का मूल जड़ द्वितीय पक्ष द्वारा बैर के पेड़ का काटा जाना है। अतः लिखित बयान एवं गवाहों के दर्ज बयान के आधार पर द्वितीय पक्ष श्री लुलेन्दर सिंह को 5000.00/– (पांच हजार रू0) की प्रतिभूति के साथ एक साल तक शांति कायम हेतु बंध पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

07/12/17

अनुमंडल दंडाधिकारी
बसिया।

1/12/17

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.12 14:33:22 +05:30
Location: 192.168.0.112